This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 अगस्त, 2025 / 30 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 19th August, 2025

No. TPT-C(9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and

all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark **HP-78 B alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering & Licensing Authority Bangana, District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

Sd/-
(R. D. NAZEEM) ,
Additional Chief Secretary (Transport).

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री रघुनन्दन मुरगाई पुत्र श्री केवल मुरगाई, निवासी मकान नं0 62वीं, कोर्ट रोड मेन मार्किट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती श्यामली नेगी पुत्री श्री राजकुमार, निवासी गांव नन्द गांव, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 ..... प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री रघुनन्दन मुरगाई पुत्र श्री केवल मुरगाई, निवासी मकान नं0 62वीं, कोर्ट रोड मेन मार्किट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्यामली नेगी पुत्री श्री राजकुमार, निवासी गांव नन्द गांव, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 07–10–2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार किया है तथा उसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 07–10–2024 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06–09–2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री रघुनन्दन मुरगाई पुत्र श्री केवल मुरगाई, निवासी मकान नं0 62वीं, कोर्ट रोड मेन मार्किट, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्यामली नेगी पुत्री श्री राजकुमार, निवासी गांव नन्द गांव, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

गीता पुत्री श्री हरदेव, गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..... वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाड़ा विकास खण्ड चम्बा ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4449/2025 दिनांक 07–08–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15425, दिनांक 15–04–2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) राशन कार्ड, (8) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका गीता पुत्री श्री हरदेव, गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा, ग्राम पंचायत झुलाड़ा, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका गीता पुत्री श्री हरदेव, गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 15–04–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गीता पुत्री श्री हरदेव, गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–07–1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका गीता पुत्री श्री हरदेव, गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव झुलाड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बबली पुत्री स्व0 श्री भीम सिंह, गांव गलू, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4313/2025 दिनांक 29–07–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/16061, दिनांक 26–07–2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) प्रधान रिपोर्ट, (6) आधार कार्ड जिसमें श्रीमती बबली पुत्री स्व0 श्री भीम सिंह, गांव गलू, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता स्व0 श्री भीम सिंह पुत्र श्री बुधिया राम, ग्राम पंचायत प्राहनवीं की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका के पिता स्व0 श्री भीम सिंह पुत्र बुधिया राम, ग्राम पंचायत प्राहनवीं की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 26–07–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि स्व0 श्री भीम सिंह पुत्र श्री बुधिया राम, ग्राम पंचायत प्राहनवीं, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 29–08–1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के पिता स्व0 श्री भीम सिंह पुत्र श्री बुधिया राम, ग्राम पंचायत प्राहनवीं, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवीं को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
36 / NT / 2025	मृत्यु तिथि पंजीकरण	13–08–2025	29–08–2025

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र मोती राम, वासी मोहाल बगेहडा बूहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

मृत्यु तिथि पंजीकरण श्रीमती संधि देवी पत्नी मोती राम, वासी मोहाल बगेहडा बूहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये मृत्यु पंजीकरण प्रार्थी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र मोती राम, वासी मोहाल बगेहडा बूहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती संधि देवी पत्नी मोती राम की मृत्यु दिनांक 03–05–2016 को ग्राम पंचायत बीड बगेहडा में हुई थी तथा सहवन गलती से दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बीड बगेहडा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 29–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 13–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Naib-Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Krishna Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Krishna Devi d/o Daroga Ram r/o Village Samailla, P.O. Maharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which has taken place on 23-02-1972 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Samailla. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 23-02-1972, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 07-08-2025.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rakesh Sharma, HPAS Sub-Divisional Magistrate Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Rajesh Kumar s/o Kishori Lal, r/o Village Kardho, Post Office Panyali, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Kalpana Giri d/o Damber Bhadur Giri, r/o Village Udhayapur Gadhi Ward No. 2, Udhayapur (Nepal).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 18-07-2025 at Mata Baglamukhi Mandi Budhana Kangoo, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 30-08-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 30-08-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 04-08-2025 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
(RAKESH SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rakesh Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Ankit s/o Surinder Sharma, r/o Village Pakhrol, Post Office Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Shabnam d/o Mahinder Singh, r/o Village Tareti, Post Office Choru, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 07-06-2025 at Village Shiv Mahadev Mandir Purtiala, P.O. Kohala, Tehsil Jawalamukhi, Kangra, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 10-09-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 10-09-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 04-08-2025 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
(RAKESH SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum-*Marriage Officer,*
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 55 / तह / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 23–08–2025

माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, गांव चौसराल पट, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादीगण।

विषय.––मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, गांव चौसराल पट, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री श्रीमती सीना देवी का जन्म दिनांक 12–05–1968 को गांव चौसराल पट, डाकघर धुपक्यारा, ग्राम पंचायत धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने मेरी पुत्री का जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती सीना देवी पुत्री माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, गांव चौसराल पट, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 12–05–1968 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23–08–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव धुपक्यारा को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07–07–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत पूजा अधिकारी सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
42 / 2025	29–07–2025	25–08–2025

प्रार्थिया श्रीमती ललिता देवी पुत्री श्रीमती शीला देवी पत्नी विधू, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

श्रीमती ललिता देवी पुत्री शीला देवी पत्नी विधू, निवासी गांव व डाकघर सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया

गया है कि उसके भाई की मृत्यु दिनांक 20–10–2020 को हुई थी। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 25–08–2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
40 / 2025	01–08–2025	22–08–2025

प्रार्थी अभिनव मन्हास पुत्र सर्वण सिंह, निवासी गांव व डाकघर तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

अभिनव मन्हास पुत्र सर्वण सिंह, निवासी गांव व डाकघर तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, ने प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता श्री स्वर्ण सिंह पुत्र सुहेल सिंह की मृत्यु दिनांक 30–01–1994 को हुई थी। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22–08–2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
85 / 2025 / TEH	11–08–2025	03–09–2025

प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र केसरू, निवासी महाल वल्ला, डाकघर नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुनील कुमार पुत्र केसरू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुनील कुमार सैणी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सुनील कुमार की बजाये सुनील कुमार सैणी उपनाम सुनील सैणी पुत्र केसरू, महाल बल्ला, पटवार वृत्त अवदुल्लापुर में इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
84 / 2025 / TEH	06–08–2025	03–09–2025

प्रार्थी अनुराग पुत्र प्रवीन, निवासी गांव व डाकघर जनयानकड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल जनयानकड़, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रवीन कुमार (Parveen Kumar) दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम प्रवीन (Praveen) दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम प्रवीन कुमार की बजाये प्रवीन कुमार उपनाम प्रवीन (Praveen) पुत्र धर्म चन्द पुत्र रतन चन्द इन्द्राज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
43 / 2025	06–08–2025	03–09–2025

पंजीकरण प्रार्थिया रितू देवी पत्नी राज कुमार, निवासी गांव व डाकघर गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया रितू देवी पत्नी राज कुमार, निवासी गांव व डाकघर गगल, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके ससुर श्री राम सिंह पुत्र लीतडू, गांव व डाकघर गगल, तहसील व जिला कांगड़ा की मृत्यु दिनांक 18–01–1995 को हुई है, लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत गगल, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 03–09–2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
44 / 2025	06–08–2025	03–09–2025

प्रार्थी श्री प्रवीन कुमार पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री प्रवीन कुमार पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01–04–1978 को हुआ है, लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत खोली, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 03–09–2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष

हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 3 / B&D / T / 2025 तारीख पेशी : 10–09–2025

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गैंवर राम, वासी गांव रकेहर, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार व मुश्त्री मुनादी।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गैंवर राम, वासी गांव रकेहर, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसकी माता स्व0 श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री गैंवर राम का देहांत दिनांक 29–04–2001 को गांव रकेहर, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उसकी माता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत खुण्डियां को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री गैंवर राम की मृत्यु तिथि 29–04–2001 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10–09–2025 को हाजिर अदालत हो अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री गैंवर राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप–स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत खुण्डियां को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–08–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 17 / C/T / 2025 तारीख पेशी : 10–09–2025

श्री अजय शर्मा पुत्र लाल मन, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री अजय शर्मा पुत्र लाल मन, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सिहोटी व पटवार वृत्त वडोगलाहड के महाल जखलाहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम अजय कुमार व पिता का नाम राम लाल तथा पटवार वृत्त वडोगलाहड के महाल घडेला, तहसील खुण्डियां में अजय कुमार व पिता का नाम राम पाल दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसका नाम अजय शर्मा व पिता का नाम लाल मन दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सिहोटी व पटवार वृत्त वडोगलाहड के महाल जखलाहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम अजय शर्मा उपनाम अजय कुमार व पिता का नाम लालमन उपनाम राम लाल तथा पटवार वृत्त वडोगलाहड के महाल घडेला, तहसील खुण्डियां में मेरा नाम अजय शर्मा उपनाम अजय कुमार व पिता का नाम लालमन उपनाम राम पाल दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 10–09–2025 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री लालमन, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के महाल सिहोटी व पटवार वृत्त वडोगलाहड के महाल जखलाहड व घडेला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती / दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 12–09–2025

श्री अच्छर मल राणा पुत्र रघुवीर सिंह पुत्र श्री महतावू, निवासी महाल ठाणा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ...प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल।

प्रार्थी श्री अच्छर मल राणा पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में अच्छर मल राणा दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी अच्छर मल राणा ही है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम सुरेश कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सुरेश कुमार के बजाये सुरेश कुमार उपनाम अच्छर मल राणा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में श्री सुरेश कुमार के बजाये सुरेश कुमार उपनाम अच्छर मल राणा दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 12–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06–08–2025 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

In the Court of Naib-Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.)**

File No. /NTEH/2025 Date of Institution : 13-06-2025 Case Titled : Correction of name

Sh. Puran Singh s/o Sh. Prithi Singh, r/o Village Panjasra, Sub-Tehsil Raja ka Talab, District Kangra, H.P.

Versus

The General Public

Notice of the General Public.

Whereas, Sh. Puran Singh s/o Sh. Prithi Singh, r/o Village Panjasra, Sub-Tehsil Raja ka Talab, District Kangra, H.P. has filed an application before the undersigned in which he has stated that his father's correct name according to Gram Panchayat Record, Aadhar Card, Bank Record, Mark List etc. is Sh. Prithi Singh s/o Teka but due to clerical mistake his father's name has been wrongly entered in Revenue record of Panjasra Patwar Circle Talara bearing Khata No. 27.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicants correct name is recorded in revenue record is Sh. Prithi Singh s/o Teka but the name of the applicant is recorded in revenue record is Sh. Fato s/o Teka.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to all General public concerned that objection in this regard for correction of the name of Fato s/o Teka shall be heard by the undersigned on 04-09-2025 in his court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 04-08-2025.

Seal. Sd/-
Naib-Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 102 / NT/25

Sh. Tenzin Chodak s/o Tsering Phuntsok, r/o House Number 103, Ward Number 2, Forsyth Ganj, Post Office & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Tenzin Chodak s/o Tsering Phuntsok, r/o House Number 103, Ward Number 2, Forsyth Ganj, Post Office & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म तिथि 03–09–1974 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत / नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि Tenzin Chodak s/o Tsering Phuntsok की जन्म तिथि को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि 03–09–1974 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 102 / NT/25

Smt. Tseten Youdon d/o Tsewang Rabgyal, r/o House Number 103, Kajlot Ward Number 2, Forsyth Ganj, Post Office & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Smt. Tseten Youdon d/o Tsewang Rabgyal, r/o House Number 103, Kajlot Ward Number 2, Forsyth Ganj, Post Office & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म तिथि 01–01–1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत / नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि Tseten Youdon d/o Tsewang Rabgyal की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि 01–01–1978 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 347/NT/25

Sh. Maru Ram s/o Sh. Bhim Sain, r/o Naganpatt, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Maru Ram s/o Sh. Bhim Sain, r/o Naganpatt, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा नाम मारू राम है। Maru Ram *alias* Prathanu एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यदि किसी को नाम दुरुस्त / पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 08–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 198/NT/25

Sh. Kultar Singh s/o Smt. Amar Kaur d/o Sh. Kalu, r/o Mohal Panjlehar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Kultar Singh s/o Smt. Amar Kaur d/o Sh. Kalu, r/o Mohal Panjlehar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा

नाम Kultar Singh है। Kultar Singh and Kulbar Singh एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यदि किसी को नाम दुरुस्त / पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 08–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र एवं पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ना मदुरुस्त / पंजीकृत की जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

श्री Sonam Wangchuk s/o Mr. Dorjee and Mrs. Yangchen Lhamo, r/o c/o Namgyal Monestary, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-cum-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Sonam Wangchuk s/o Mr. Dorjee and Mrs. Yangchen Lhamo, r/o c/o Namgyal Monestary, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 04–04–1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Sonam Wangchuk s/o Mr. Dorjee and Mrs. Yangchen Lhamo के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

श्री Namgyal s/o Mr. Tashi & Mrs. Tsering Lhamo, r/o c/o Namgyal Monestary, P.O. Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Namgyal s/o Mr. Tashi & Mrs. Tsering Lhamo, r/o c/o Namgyal Monestary, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म दिनांक 08–09–1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Namgyal s/o Mr. Tashi & Mrs. Tsering Lhamo के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Smt. Maya Devi w/o Late Sh. Partap Chand, VPO Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Maya Devi w/o Late Sh. Partap Chand, VPO Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1944 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 15–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 15 / 2025 तारीख पेशी : 28–08–2025

श्री कंठी राम पुत्र श्री सूरत राम, निवासी गांव गाता मंडवाच, ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री कंठी राम पुत्र श्री सूरत राम, निवासी गांव गाता मंडवाच, ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 15–02–1966 है, जो ग्राम पंचायत सागना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 15–02–1966 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–07–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री झुइया राम, निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटी–बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री झुइया राम, निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-4865, दिनांक 16–07–2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र राकेश की जन्म तिथि 01–07–2008 को ग्राम पंचायत अजरोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र में मय ब्यान हल्फी प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री झुइया राम, निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली के पुत्र राकेश की जन्म तिथि 01–07–2008 ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 05–09–2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र राकेश की जन्म तिथि 01–07–2008 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2025 दायर तिथि :

श्रीमती Tenzin Lhanzey d/o Rinzing Dorjee, निवासी House No. 48, Tebetan Colony Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती Tenzin Lhanzey d/o Rinzing Dorjee, निवासी House No. 48, Tebetan Colony Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिले केसिस / 2025–4857, दिनांक 16–07–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05–09–1982 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–08–2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती Tenzin Lhanzey d/o Rinzing Dorjee, निवासी House No. 48, Tebetan Colony Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2025 दायर तिथि :

श्री Tsering Phuntsok s/o Sh. Dorjee, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री Tsering Phuntsok s/o Sh. Dorjee, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिले केसिस / 2025–4858, दिनांक 16–07–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जिसका नाम Tenzin Chirne है, की

जन्म तिथि 20–11–2009 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भांटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30–08–2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tenzin Chirne s/o Tsering Phuntsok, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025 दायर तिथि :

श्री Tsering Phuntsok s/o Sh. Dorjee, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री Tsering Phuntsok s/o Sh. Dorjee, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025–4859, दिनांक 16–07–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जिसका नाम Tenzin Namkha है, की जन्म तिथि 29–11–2010 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भांटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30–08–2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tenzin Namkha s/o Tsering Phuntsok, निवासी House No. 88, TCIS Bhupur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2025 दायर तिथि :

श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री श्री रशीद अली, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री श्री रशीद अली, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिले केसिस / 2025–2252, दिनांक 17–05–2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ हैं, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01–01–1986 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भुंगरनी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती नसीमा बेगम पुत्री श्री रशीद अली, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 02–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री पंकज पुत्र श्री जागर सिंह, निवासी ग्राम उदैना कठवार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री पंकज पुत्र श्री जागर सिंह, निवासी ग्राम उदैना कठवार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी मौजा अधोग, तहसील कमरऊ वर्ष 2019–20, नकल जमाबन्दी, मौजा कठवार वर्ष 2020–21, परिवार नकल, फर्द तलबाना, मृत्यु प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है, कि मौजा अधोग में प्रार्थी के पिता का नाम जगत सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जागर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह है, जिसे प्रार्थी मौजा अधोग में मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन, आधार कार्ड, परिवार नकल में जागर सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

चूंकि उक्त प्रकरण बारे छानबीन क्षेत्रीय कर्मचारियों से करवाई गई तथा छानबीन में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा मुताबिक रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु सिफारिश की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी जन मानस को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 02–09–2025 का प्रातः 10.00 बजे तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र श्री पंकज पुत्र श्री जागर सिंह, निवासी ग्राम उदैना कठवार, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Smt. Savitra Devi d/o Jai Bhadur, r/o Gautam Niwas, Ghora Chowki, P.O. Tara Devi, Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Savitra Devi d/o Jai Bhadur, r/o Gautam Niwas, Ghora Chowki, P.O. Tara Devi, Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-availability Certificate issued by the Registrar, Birth & Death-*cum*-Corporation Health Officer, Municipal Corporation Shimla, H.P.

in the Court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself Smt. Savitra Devi as 22-01-2001 in the record of Registrar, Birth and Death, in Municipal Corporation, Shimla, H.P. details are as under:—

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Savitra Devi	Self	22-01-2001

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has any objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla, H.P., he/she may file their claims/ objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-08-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Smt. Meena d/o Sh. Moti Ram, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Meena d/o Sh. Moti Ram, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-availability Certificate issued by the Registrar, Birth & Death-*cum*-Corporation Health Officer, Municipal Corporation Shimla, H.P. in the Court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself Smt. Meena as 13-04-1986 in the record of Registrar, Birth and Death, in Municipal Corporation Shimla, H.P. details are as under:—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Meena	Self	13-04-1986

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has any objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla, H.P., he/she may file their claims/ objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-08-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

शारदा देवी पुत्री स्व0 देवी सरण गांव व डाकघर मण्ढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता तहसील जुब्बल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

उनवान मुकद्दमा.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म को दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में शारदा देवी पुत्री स्व0 देवी सरण, गांव व डाकघर मण्ढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म 01–01–1953 को गांव मण्ढोल, ग्राम पंचायत मण्ढोल में हुआ है, परन्तु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर, ग्राम पंचायत मण्ढोल में प्रार्थिया का जन्म दर्ज नहीं है, प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मण्ढोल, तहसील जुब्बल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्ढोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10–09–2022 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर असालतन व वकालतन कर सकता है यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्ढोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है और उपरोक्त व्यक्ति के जन्म को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत मण्ढोल को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित /
(कंवर युद्ध अभय सिंह)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 03 / 25 तारीख मरजुआ : 13–07–2025 तारीख फैसला : 13–08–2025

श्री विनीत कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी ग्राम करदावल, डाकघर शडी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इस आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री विनीत कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी ग्राम करदावल, डाकघर शडी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी निवासी कदरावल, डाकघर शडी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) का स्थाई निवासी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम विनोद दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम विनीत कुमार है जिसे दुरुस्त करने बारे आवेदन दिया है।

प्रार्थना–पत्र को मौका की छानबीन हेतु पटवारी हल्का शडी को भेजा गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि राजस्व अभिलेख मौजा चमरोल में प्रार्थी का नाम विनोद दर्ज है जबकि उसका वास्तविक नाम विनीत कुमार है तथा प्रार्थना–पत्र के साथ शामिल ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर, शपथ पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अवलोकन से प्रार्थी का नाम विनीत कुमार दर्ज है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 20–09–2025 को अपराह्न 11.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
19/2025	05-08-2025	09-09-2025

Sh. Chander Mohan s/o Sh. Inder Pal Singh, r/o Village Khilverser, Post Office Kumarhatti, Tehsil & District Solan, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Chander Mohan s/o Sh. Inder Pal Singh, r/o Village Khilverser, Post Office Kumarhatti, Tehsil & District Solan, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 09-04-1986, Village Sanawar, Post Office Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. as per affidavit furnished by the applicant and relevant document attached in case file, but his date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Sanwara, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Sanwara, for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Chander Mohan s/o Sh. Inder Pal Singh & Smt. Kalawati may submit their objections in writing in this court on or before 09-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of August, 2025.

Seal.

Sd/-
(JAGPAL SINGH)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

In the Court of Executive Magistrate, Ghanari, Tehsil Ghanari,
District Una, Himachal Pradesh

In the matter of :

Jyotsana wife of Shri Rohit Kumar, r/o V.P.O. Ghanari, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.)
. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Jyotsana wife of Shri Rohit Kumar, r/o V.P.O. Ghanari, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) has preferred an application before undersigned for deleted the surname of his father and mother name in her son Rajat Prashar passed from C.B.S.E. Board Delhi.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for deleted the surname of his father and Mother Name mentioned above, if any person have any objection of the above said deleted the surname for his father and her mother name in her son Rajat Prashar matriculation certificate from Jyotsana Prashar to Jyotsana and his father name Rohit Kumar Prashar to Rohit Kumar may file written objection in the Court within 30 (Thirty days) from the date of Publication of this notice in official Gazetted. No objection will be entertained after prescribed period & application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 11-08-2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Ghanari, District Una,
Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Bir Bhadur Singh s/o Late Sh. Sunder Singh, V.P.O. Kansakoti, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Bir Bhadar in my Aadhar Card. Therefore, it should be changed to Bir Bhadur Singh in my Aadhar Card. Note the relevant information.

BIR BHADUR SINGH
s/o Late Sh. Sunder Singh,
V.P.O. Kansakoti,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jamuna Biswa w/o Ankit Thakur, Village Panapari Khas, P.O. Panaper, Tehsil Palampur, Panapari Khas (181), District Kangra (H.P.)-176 064 declare that I have changed my minor daughter's name from Ishrat Thakur to Manya Thakur. All concerned note it.

JAMUNA BISWA
w/o Ankit Thakur,
Village Panapari Khas, P.O. Panaper,
Tehsil Palampur, Panapari Khas (181),
District Kangra (H.P.)-176 064.

CORRECTION OF NAME

I, Prem Lata, Village Dholag, P.O. & Sub-Tehsil Kalol, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 2134 7363 2726 my name is wrongly recorded as Pramila Devi. My correct name is Prem Lata. All concerned note.

PREM LATA
Village Dholag,
P.O. & Sub-Tehsil Kalol,
Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shank Mani w/o Moti Ram, Village Gajyani, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Shoka Mati in my Aadhar Card. Therefore it should be changed to Shank Mani in my Aadhar Card.

SHANK MANI
w/o Moti Ram,
Village Gajyani, P.O. Sindasli,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Yog Dev s/o Kishan Chand, r/o Village Bhui Pokhri, P.O. Pujali, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) declare to correct my name as Yog Dev instead of Yog Raj in my Aadhar Card.

YOG DEV
s/o Kishan Chand,
r/o Village Bhui Pokhri, P.O. Pujali,
Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prem Chand s/o Chander Lal, Village Gokswari, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Aarohi Gindiyan is wrongly mentioned as Kaki in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to Aarohi Gindiyan in her Aadhar Card. Note the relevant information.

PREM CHAND
s/o Chander Lal,
Village Gokswari, P.O. Sindasli,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ramlal s/o Sh. Lebra, Village Khanola, P.O. Summerkot, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my father name is wrongly mentioned as Dasu Ram in my Pan Card No. AJWPL4276G. Therefore it should be changed to Lebra in my Pan Card. Note the relevant information.

RAMLAL
s/o Sh. Lebra,
Village Khanola, P.O. Summerkot,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Drumti Devi 66 years w/o Sangat Ram, r/o Village Parganoo, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhar Card as Dropti. I want to change my name from Dropti to Drumti Devi in my Aadhar Card.

DRUMTI DEVI
w/o Sangat Ram,
r/o Village Parganoo,
P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sumna Devi w/o Mahender Singh, r/o Village Purli, P.O. Kakkar, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that correct spelling of my daughter in Aadhar Card from Mancy to Mansi & correct father name spelling from Mohinder Singh to Mahender Singh. Please note.

SUMNA DEVI
w/o Mahender Singh,
r/o Village Purli, P.O. Kakkar,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2025

No. Fin-2-C(12)1/2025(I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of **10**-year tenure for an aggregate amount of Rs. **500 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **August 26, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **August 26, 2025**:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **August 28, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **August 28, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **10**-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **August 28, 2025**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **August 28, 2035**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **February 28 and August 28.**

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DR. ABHISHEK JAIN, IAS)
Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2025

No. Fin-2-C(12)1/2025(II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of **15**-year tenure for an aggregate amount of Rs. **1000 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this

notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **August 26, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **August 26, 2025**:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **August 28, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **August 28, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **15**-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **August 28, 2025**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **August 28, 2040**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **February 28 and August 28.**

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DR. ABHISHEK JAIN, IAS)
Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।